The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959

(Act No. 31 of 1959)

नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959

(1959 का अधिनियम संख्यांक 31)

नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959

(1959 का अधिनियम संख्यांक 31)

[2 सितम्बर, 1959]

नियोजनालयों की रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना
देने का उपबन्ध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के दसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**—(1) यह अधिनियम नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार ***[1] सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह किसी राज्य में उस तारीख[2] को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस राज्य के लिए इस निमित्त नियत करे और अलग-अलग राज्यों के लिए या किसी राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. **परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "समुचित सरकार" से—

(1) (क) किसी रेल, महापत्तन, खान या तेलक्षेत्र के किसी स्थापन के संबंध में, अथवा

(ख) (i) केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के,

(ii) किसी कम्पनी के, जिसमें अंश पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा या भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धृत है,

(iii) केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित किसी निगम के (जिसके अन्तर्गत सहकारी सोसायटी आती है), जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन है,

स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन के किसी स्थापन के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार ।

(2) किसी अन्य स्थापन के संबंध में उस राज्य की सरकार, जिसमें वह अन्य स्थापन स्थित है;

अभिप्रेत है;

(ख) "कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पारिश्रमिक पर कोई काम करने के लिए किसी स्थापन में नियोजित है;

(ग) "नियोजक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पारिश्रमिक पर कोई काम करने के लिए एक या अधिक अन्य व्यक्तियों को किसी स्थापन में नियोजित करता है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसे ऐसे स्थापन में कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण न्यस्त किया गया है;

---

1. केंद्रीय श्रम विधि (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 1970 (1970 का 51) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया गया।

2. दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 1 जुलाई, 1978—देखिए अधिसूचना सं० सा० का० नि० 332, तारीख 1 अप्रैल, 1960, भारत का राजपत्र, 1960, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (i), पृ० 145।

—अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 1 जुलाई, 1978—देखिए अधिसूचना सं० सा० का० नि० 808, तारीख 27 मई, 1978, भारत का राजपत्र, 1978, भाग 2, खंड 3 (i), पृ० 1441।

(घ) "नियोजनालय" से ऐसा कार्यालय या स्थान अभिप्रेत है जिसे सरकार ने—

(i) ऐसे व्यक्तियों के बारे में, जो कर्मचारियों को काम पर लगाना चाहते हैं,

(ii) ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो नियोजन चाहते हैं, तथा

(iii) ऐसी रिक्तियों के बारे में, जिनमें नियोजन चाहने वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है,

जानकारी या तो रजिस्टर रखकर या अन्यथा संगृहीत करने और देने के लिए स्थापित किया है और बनाए रखा है;

(ङ) "स्थापन" से—

(क) कोई कार्यालय, अथवा

(ख) कोई स्थान जहां कोई उद्योग, व्यापार, कारबार या उपजीविका चलाया जाता या चलाई जाती है,

अभिप्रेत है;

(च) "पब्लिक सेक्टर में का स्थापन" से ऐसा स्थापन अभिप्रेत है, जो—

(1) सरकार या सरकार के किसी विभाग के,

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथा-परिभाषित सरकारी कम्पनी के,

(3) किसी केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम के (जिसके अन्तर्गत सहकारी सोसायटी आती है), जो सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन है,

(4) किसी स्थानीय प्राधिकारी के,

स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन है;

(छ) "प्राइवेट सेक्टर में का स्थापन" से ऐसा स्थापन अभिप्रेत है जो पब्लिक सेक्टर में का स्थापन नहीं है और जिसमें पारिश्रमिक पर काम करने के लिए मामूली तौर पर पच्चीस या अधिक व्यक्ति नियोजित किए जाते हैं;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) "अकुशल कार्यालयिक काम" से किसी स्थापन में निम्नलिखित प्रवर्गों के कर्मचारियों में से किसी द्वारा किया गया काम अभिप्रेत है, अर्थात्—

(1) दफ्तरी;

(2) जमादार, अर्दली और चपरासी;

(3) झाड़पोंछ करने वाला व्यक्ति या फ़र्राश;

(4) बंडल या अभिलेख उठाने वाला;

(5) आदेशिका की तामील करने वाला;

(6) चौकीदार;

(7) मेहतर;

(8) कोई नेमी या अकुशल काम, जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अकुशल कार्यालयिक काम घोषित करे, करने वाला कोई अन्य कर्मचारी।

3. कतिपय रिक्तियों के संबंध में अधिनियम का लागू न होना—(1) यह अधिनियम उन रिक्तियों के संबंध में लागू न होगा जो—

(क) कृषि में (जिसके अन्तर्गत उद्यान कृषि आती है), प्राइवेट सेक्टर में के किसी स्थापन में किसी ऐसे नियोजन में है जो कृषिक मशीनरी या फार्म मशीनरी के संक्रियाकारों के रूप में नियोजन से भिन्न है;

(ख) घरेलू सेवा में के किसी नियोजन में है;

(ग) किसी ऐसे नियोजन में है जिसकी कुल अस्तित्वावधि तीन मास से कम है;

(घ) अकुशल कार्यालयिक काम करने के लिए किसी नियोजन में हैं;

(ङ) संसद् के कर्मचारीवृन्द से संसक्त किसी नियोजन में हैं।

(2) जब तक केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त अन्यथा निदिष्ट न करे, यह अधिनियम उन रिक्तियों के संबंध में भी लागू न होगा—

(क) जिनके बारे में यह प्रस्थापना है कि उन्हें पदोन्नति द्वारा या उसी स्थापन की किसी शाखा या विभाग में अधिशिष्ट कर्मचारियों को लगाकर या किसी ऐसे स्वतन्त्र अभिकरण यथा संघ या राज्य लोक सेवा आयोग और उसी प्रकार के अन्य अभिकरण द्वारा संचालित किसी परीक्षा के या किए गए किसी साक्षात्कार के परिणाम के अनुसार या ऐसे अभिकरण की सिफारिश पर भरा जाए;

(ख) जो ऐसे नियोजन में है जिसमें पारिश्रमिक एक मास में साठ रुपए से कम है।

4. **नियोजनालयों को रिक्तियों की अधिसूचना**—(1) किसी राज्य या उसके किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् उस राज्य या क्षेत्र में हर पब्लिक सेक्टर में के स्थापन में का नियोजक उस स्थापन में के किसी नियोजन में की कोई रिक्ति भरने से पूर्व वह रिक्ति ऐसे नियोजनालयों को अधिसूचित करेगा जैसे विहित किए जाएं।

(2) समुचित सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अपेक्षा कर सकेगी कि प्राइवेट सेक्टर में के हर स्थापन या प्राइवेट सेक्टर में के स्थापनों के किसी वर्ग या प्रवर्ग से संबंधित हर स्थापन में का नियोजक उस स्थापन में के किसी नियोजन में की कोई रिक्ति भरने से पूर्व उस रिक्ति को ऐसे नियोजनालयों को, जैसे विहित किए जाएं, उस तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अधिसूचित करेगा और तदुपरि नियोजक ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा।

(3) वह रीति जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट रिक्तियां नियोजनालयों को अधिसूचित की जाएंगी और उन नियोजनों की विशिष्टियां, जिनमें ऐसी रिक्तियां हुई हैं या होने जा रही हैं, ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं।

(4) उपधाराओं (1) और (2) में की किसी भी बात की बाबत यह न समझा जाएगा कि वह नियोजक पर यह बाध्यता अधिरोपित करती है कि नियोजक, उस रिक्ति को भरने के लिए कोई व्यक्ति, केवल इस कारण नियोजनालय के माध्यम द्वारा भर्ती करे कि वह रिक्ति उन उपधाराओं में से किसी के अधीन अधिसूचित की गयी है।

5. **जानकारी और विवरणियां नियोजक विहित प्ररूप में देंगे**—(1) किसी राज्य या उसके किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, उस राज्य या क्षेत्र में के हर पब्लिक सेक्टर में के स्थापन में का नियोजक, उन रिक्तियों के संबंध में, जो उस स्थापन में हुई हैं या होने जा रही हैं, ऐसी जानकारी या विवरणी, जैसी विहित की जाए, ऐसे नियोजनालयों को देगा जैसे विहित किए जाएं।

(2) समुचित सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अपेक्षा कर सकेगी कि प्राइवेट सेक्टर में के हर स्थापन या प्राइवेट सेक्टर में के स्थापनों के किसी वर्ग या प्रवर्ग से संबंधित हर स्थापन में का नियोजक, उन रिक्तियों के संबंध में जो उस स्थापन में हुई या होने जा रही हैं ऐसी जानकारी या विवरणी जैसी विहित की जाए ऐसे नियोजनालयों को जैसे विहित किए जाएं उस तारीख से देगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए और नियोजक तदुपरि ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा।

(3) वह प्ररूप जिसमें और समय के वे अन्तराल जिनके उपरान्त ऐसी जानकारी या विवरणी दी जाएगी और वे विशिष्टियां जो उनमें अन्तर्विष्ट होंगी ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं।

6. **अभिलेखों या दस्तावेजों तक पहुंच का अधिकार**—सरकार के ऐसे आफिसर की, जो इस निमित्त विहित किया जाए या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी व्यक्ति की पहुंच किसी ऐसे सुसंगत अभिलेख या दस्तावेज तक होगी जो किसी ऐसे नियोजक के कब्जे में है जिससे धारा 5 के अधीन कोई जानकारी या विवरणियां देने की अपेक्षा की गई है और वह किसी ऐसे परिसर में, जिसके बारे में वह विश्वास करता है कि वहां ऐसा अभिलेख या दस्तावेज है, युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकेगा और सुसंगत अभिलेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा या उनकी प्रतिलिपियां ले सकेगा या उस धारा के अधीन अपेक्षित कोई जानकारी अभिप्राप्त करने के लिए आवश्यक कोई प्रश्न पूछ सकेगा।

7. **शास्तियां**—(1) यदि कोई नियोजक किसी रिक्ति को, उस प्रयोजन के लिए विहित नियोजनालयों को अधिसूचित करने में धारा 4 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के उल्लंघन में असफल रहेगा तो वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा और हर पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति—

(क) कोई जानकारी या विवरणी देने के लिए अपेक्षित होने पर—

(i) ऐसी जानकारी या विवरणी देने से इन्कार करेगा या उसमें उपेक्षा करेगा, अथवा

(ii) ऐसी जानकारी या विवरणी देगा या दिलवाएगा जिसके बारे में वह जानता है कि वह मिथ्या है, अथवा

(iii) धारा 5 के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी जानकारी को अभिप्राप्त करने के लिए आवश्यक किसी प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार करेगा या उसका मिथ्या उत्तर देगा, अथवा

(ख) धारा 6 द्वारा प्रदत्त सुसंगत अभिलेखों या दस्तावेजों तक पहुंच के अधिकार में या प्रवेश के अधिकार में अड़चन डालेगा,

तो वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, और हर पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

8. **अपराधों का संज्ञान**—इस अधिनियम के अधीन के अपराध के लिए कोई भी अभियोजन सरकार के उस आफिसर के जो इस निमित्त विहित किया जाए या उस आफिसर द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा या उसकी मंजूरी से संस्थित किए जाने के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा।

9. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण**—कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

10. **नियम बनाने की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नियम[1] शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सब बातों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे—

(क) वह या वे नियोजनालय जिसको या जिनको, वह प्ररूप और रीति जिसमें, और वह समय जिसके भीतर रिक्तियां अधिसूचित की जाएंगी और उन नियोजनों की विशिष्टियां जिनमें ऐसी रिक्तियां हुई हैं या होने जा रही है;

(ख) वह प्ररूप और रीति जिसमें, और वे अन्तराल जिनके उपरान्त धारा 5 के अधीन अपेक्षित जानकारी और विवरणियां दी जाएंगी और वे विशिष्टियां जो उनमें अन्तर्विष्ट होंगी;

(ग) वे आफिसर जिनके द्वारा और वह रीति जिसमें धारा 6 द्वारा प्रदत्त दस्तावेजों तक पहुंच का अधिकार और प्रवेश का अधिकार प्रयुक्त किया जा सकेगा;

(घ) कोई अन्य बात जो इस अधिनियम के अधीन विहित की जानी है या की जाए।

[2][(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

---

1. देखिए—नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) नियम, 1960, भारत का राजपत्र, 1960, असाधारण, भाग 2, खंड (3) (i), पृ० 181।

2. 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) प्रतिस्थापित।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

1952 में भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रशिक्षण और नियोजन सेवा संगठन समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की थीं—

(क) कि नियोजकों से अकुशल प्रवर्गों, अस्थायी कालावधि की रिक्तियों और प्रोन्नति द्वारा भरी जाने वाली प्रस्तावित रिक्तियों से भिन्न, सभी रिक्तियां नियोजनालय को अनिवार्यता के आधार पर अधिसूचित की जानी अपेक्षित होनी चाहिएं।

(ख) कि नियोजकों को नियमित अंतरालों पर नियोजनालयों को कर्मचारिवृन्द की संख्या की विवरणियां देना भी अनिवार्य आधार पर अपेक्षित होना चाहिए।

समिति ने आगे सिफारिश की थी कि इस प्रकार सुझाए गए अनिवार्यता के उपाय को उपयुक्त विधान में सन्निविष्ट किया जाए। वर्तमान विधेयक उन्हीं सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए है।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 1959

गुलजारी लाल नंदा